




138

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर


प्र.क. /2012 निगरानी - R 3407 II/12

श्री रामसुवक शर्मा ए.ए.
द्वारा आज दि 4/10/12 को
प्रस्तुत


क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- 1- धनश्याम पुत्र मंधा लोधी
 - 2- भागवत पुत्र मंधा लोधी
- निवासीगण ग्राम कुसमाड, तहसील
बकस्वाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.)
-----आवेदकगण
बनाम

हरिश्चन्द पुत्र उदयचन्द जैन
निवासी- ग्राम बकस्वाहा, तहसील
बकस्वाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.)
-----अनावेदक


8-90-92

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 (क) म.प्र. भू राजस्व
संहिता-1959 संशोधित अधिनियम 2011 विरुद्ध आदेश
दिनांक 4.9.2012 द्वारा पारित तहसीलदार बकस्वाहा
जिला छतरपुर म.प्र. प्र.क. 01/अ-70/2011-12
हरिश्चन्द बनाम धनश्याम के निर्णय से दुखित होकर।

श्रीमान जी,

आवेदकगण का निगरानी आवेदन-पत्र सादर प्रस्तुत है:-

1- प्रकरण के तथ्य:-

यहकि, अनावेदक द्वारा प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में पूर्व में
सीमांकन कार्यवाही की जिसकी सूचना हम आवेदकगण को नहीं दी गई।



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3407-दो/2012

जिला छतरपुर

घनश्याम विरूद्ध हरिशचंद


स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार बकस्वाहा के प्रकरण क्रमांक 01/अ-70/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 04-09-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-10-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p> <p>5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका</p>	

21/1/19

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।


हस्ता -
(आर.के. जैन) 119
सदस्य